राजधानी •
वर्ष 16 | अंक 83 | पृष्ठ : 18
मूल्य : तीन रुपये
7 राज्य • 1 केंद्रशासित प्रदेश • 19 संस्करण

अमर उजाला

नई दिल्ली
सोमवार, 2 जुलाई 2018

जीएसटी: स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क शामिल हो

ग्रेटर नोएडा। बिल्डर जीएसटी को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं। टैक्स की सरल प्रक्रिया से आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी की उम्मीद भी कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र पर टैक्स के बोझ को करने की भी मांग कर रहे हैं। बिल्डर स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क को भी जीएसटी में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं। बिल्डरों ने कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी...

जीएसटी लागू होने के बाद प्रॉपर्टी की खरीद पर एक सरल और पारदर्शी टैक्स लागू होना शुरू हुआ, जो प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए सबसे बड़ा लाभ साबित हुआ। हालांकि जीएसटी के बाद कीमतों पर बहुत अंतर नहीं था, लेकिन इसने घर खरीददारों के अन्दर से एक भ्रम को दूर किया जो कई तरह के करों के चलते घर खरीदारों में बना हुआ था। - **मनोज गौड़ उपाध्यक्ष क्रेडाई नेशनल व एमडी गौड़ ग्रुप**